

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर. वी. ई. सं. ११/२००२

सं.ई (पीएंडए) II-2001/एफई-2/1

नई दिल्ली, दिनांक : १-७-२००२.

महाप्रबंधक,
दक्षिण रेलवे,
चेन्नै.

**विषय : रनिंग कर्मचारियों को विश्राम भंग भत्ते का भुगतान-
पीएनएस/एनएफआई आर मद सं.15/2001.**

उपर्युक्त विषय पर कृपया अपने 6.5.2002 के पत्र सं.पी (आर) 69/पी/कमेटी में उल्लिखित पत्राचार का अवलोकन करें.

2. मामले की जांच की गई है. यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 26.11.60 के पत्र सं. ई (एस) 1-59/आरएस/30 में अंतर्विष्ट अनुदेश अब लागू नहीं है. बोर्ड के 15.11.72 तथा 21.2.73 के पत्र सं.ई (पीएंडए) II-72/आरएस-16 में यह स्पष्ट था कि रनिंग कर्मचारियों को विश्राम भंग भत्ता देय होगा यदि उन्हें मुख्यालय में 16 घंटे का विश्राम पूरा करने से पहले ही रनिंग ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है बशर्ते कि यह ड्यूटी के पूरे 8 घंटे अथवा अधिक की अवधि से तुरंत पहले हो.

3. आपके ध्यान में यह भी लाया जाता है कि नियम 1511-आर.11/1987 संस्करण में अंतर्विष्ट वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, विश्राम भंग भत्ता उन रनिंग कर्मचारियों (उपनगरीय सेवाओं अथवा शंटिंग ड्यूटी पर काम करने वालों को छोड़कर) को देय है जो गाड़ी दूसरे स्टेशन पर ले जाते हैं तथा बाद में अपने मुख्यालय लौट आते हैं तथा उन्हें मुख्यालय में 16/12 घंटे का विश्राम पूरा होने से पहले ही रनिंग ड्यूटी पर लगाया जाता है, जबकि विश्राम से तुरंत पहले ड्यूटी की पूरी अवधि 8 घंटे अथवा 8 घंटे से अधिक या कम थी, जैसी भी स्थिति हो. अतः विश्राम भंग भत्ते का अब रनिंग ड्यूटी से कोई संबंध नहीं है.

4. उपर्युक्त को देखते हुए, यह वांछा की जाती है कि इस कार्यालय को सूचित करते हुए अपने स्तर पर तत्काल आवश्यक सुधारक कार्रवाई की जाए.

5. कृपया पावती दें.

नादिरा रज़ाक

(नादिरा रज़ाक)

संयुक्त निदेशक, स्था (वे एवं भत्ता)
रेलवे बोर्ड.

सं.ई (पीएंडए) II-2001/एफई-2/1

नई दिल्ली, दिनांक : 9-7-2002

प्रतिलिपि महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलों को सूचना के लिए प्रेषित (दक्षिण रेलवे को छोड़कर)

नादिरा रजाक

(नादिरा रजाक)

संयुक्त निदेशक, स्था (वे एवं भत्ता)

रेलवे बोर्ड.

सं.ई (पीएंडए) II-2001/एफई-2/1

नई दिल्ली, दिनांक : 9-7-2002 .

प्रतिलिपि महाप्रबंधक, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली-110055 को प्रेषित.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 99/2002

No. E(P&A)II-2001/FE-2/1

New Delhi, 9-07-2002.

The General Manager,
Southern Railway,
Chennai.

**Subject: Payment of Breach of Rest Allowance to
Running Staff - PNM/NFIR Item No.15/2001.**

Please refer to the correspondence resting with your office letter No.P(R) 69/P/Committee dated 06/05/2002 on the above subject.

2. The matter has been examined. It is advised that the instructions contained in Board's letter No. E(S)I-59/RS/30 dated 26.11.60 are no longer in force. Vide Board's letters No. E(P&A)II-72/RS-16 dated 15-11-1972 and 21-2-1973, it was stipulated that Breach of Rest Allowance would be payable to Running staff, if they are called upon to perform running duty before completion of 16 hours rest at headquarters provided it is immediately preceded by a full term of 8 hours or more of duty.

3. It is further brought to your notice that in terms of the extant provisions contained in Rule 1511-R.II/1987 Edition, Breach of Rest Allowance is payable to the Running staff (other than those manning suburban services or on shunting duty) who work a train to an outstation and return to their headquarters and are detailed for running duty before completion of 16/12 hours rest at headquarters when the **total period of duty** immediately before the rest was for 8 hours or more/less than 8 hours, as the case may be. Thus, **Breach of Rest Allowance now has no nexus with running duty.**

4. In view of the above, it is desired that necessary corrective action may be taken at your end urgently, under advice to this office.

5. Please acknowledge receipt.

Nadira Razak

(Nadira Razak)

Joint Director, Estt(P&A),
Railway Board.

.....2/-

- 2 -

No. E(P&A)II-2001/FE-2/1

New Delhi, 9-07-2002.

Copy to the General Managers, All Indian Railways for information (except Southern Railway).

Nadira Razak
(**Nadira Razak**)
Joint Director, Estt(P&A)
Railway Board.

No. E(P&A)II-2001/FE-2/1

New Delhi, 9-07-2002.

Copy to General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen,
3 Chelmsford Road, New Delhi -110055.

for Secretary
for Secretary/Railway Board.

Copy to F(E)I, E(LR)I Branch with 60 spares
w.r.t. PNM/NFIR Item No.15/2001.